न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, RAS.

पत्रावली संख्या : 64 / 25 (विविध प्रार्थना पत्र)

जीसीएमएस नम्बर : 2025 / 234

1. नाबालिग लक्ष्यदेव सिंह राणावत पिता श्री कपिल कुमार सिंह जरिये संरक्षक पिता कपिल कुमार सिंह पिता शिवदयाल सिंह राणावत जाति राणावत निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०))

.................प्रार्थीगण

बनाम

1. कना पिता श्री खेमा जाति बलाई उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
2. नारायण लाल पिता श्री नन्दलाल जी जाति नाई उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
3. गणेश पिता श्री उकार जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
4. छगनलाल पिता श्री दोला जी जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
5. झमकु पिता श्री दोला जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
6. प्यारी पिता श्री दोला जी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
7. माधु पिता श्री देवजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
8. मोहनी पिता श्री दोला जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
9. वेणा पिता श्री दोला जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
10. हिरा पिता श्री देवजी जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
11. शंकरलाल पिता श्री श्रीलाल जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
12. बद्रीलाल पिता श्री गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
13. मेताबी बाई पत्नि स्व. श्री गणेश जी जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया जिला उदयपुर (राज०)
14. शंकरलाल पिता श्री गणेश जाति जाट उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
15. डालु पिता श्री मागीलाल जाति [illegible] उम्र वयस्क निवासी साकरोदा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:13 IST
Reason: SelfAttested

16. नरेश पिता श्री मांगीलाल भील जाति भील उम्र बगरक निवासी साकरोदा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
17. कालु पिता श्री सोला जी जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
18. देउ पिता श्री सोला जी जाति रेगर निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर
19. नारायण लाल पिता श्री सोला जाति रेगर निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
20. रतनलाल पिता श्री सोला जी जाति रेगर निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
21. शांन्ति देवी पिता श्री सोला जी जाति रेगर निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
22. सोवनी बाई पत्नि सोला जी जाति रेगर निवासी धनेरिया तहशील मावली जिला उदयपुर (राज०)
23. ओम प्रकाश पहाडिया पिता श्री भवरलाल जी पहाडिया निवासी सनवाड तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
24. भुरा पिता श्री दोला जति सालवी निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
25. मदनलाल पिता श्री भगवानलाल जति सालवी निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
26. मांगीबाई पिता श्री भगवानलाल जाति सालवी निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)
27. शिवलाल पिता श्री भगवानलाल जाति सालवी निवासी धनेरिया तहसील मावली जिला उदयपुर (राज)
28. राजुलाल पिता श्री जयराम जाति रेगर निवासी बान्डीनाल कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद।
29. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर (राज०)

................विपक्षीगण

उपस्थित :— 1. श्री कुमदेश आमेटा, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 04.06.2025

1. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 651, 658, 659, 660, 661 किता 5 कुल रकबा 2.7275 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त भूमि के पड़ौसी खातेदार विपक्षीगण है। पड़ौसी खातेदार आए दिन [illegible] को लेकर विवाद करते रहते है। इसलिए मुझ प्रार्थी की भूमि का सिमांकन करा [illegible] पत्थरगढ़ी करना आवश्यक है। अंत में निवेदन किया कि उक्त वर्णित भूमि के पूर्व, पश्चिम एवं उत्तर दिशा का सिमांकन कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:13 IST
Reason: SelfAttested

पत्थरगड़ी किये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। मेरी खातेदारी की भूमि विपक्षी संख्या 1 से 28 के कब्जे में पाई जावे तो उसका कब्जा मुझ प्रार्थी को विपक्षी संख्या 1 से 28 से दिलवाया जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 28 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। विपक्षी संख्या 29 आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से राजपैराकार तहसीलदार द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा।

3. अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस को समायत किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। पत्रावली के तथ्यों पर मनन् किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचें है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 406 पर दर्ज आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 कुल रकबा 2.7275 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम खातेदारी अधिकार से दर्ज है। प्रार्थी उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात में विपक्षी संख्या 1 व 28 का कोई हक हिस्सा निहित नही है। प्रार्थी द्वारा केवल मात्र प्रकरण अपनी स्वयं की खातेदारी भूमि की पत्थरगड़ी करवाने हेतु प्रस्तुत किया है किसी प्रकार की घोषणा नही चाही गई है। उक्त भूमि का सीमाकंन कर पत्थरगड़ी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण एवं विपक्षी संख्या 1 व 28 के मध्य सीमा संबंधि विवाद नही रहेगा। प्रार्थी का कथन है कि पत्थरगड़ी करने के पश्चात प्रार्थी की भूमि पर विपक्षीगण का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा भी दिलवाया जावे।न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि भू—राजस्व अधिनियम की धारा 128 के तहत केवल मात्र भूमि का सीमांकन कर पत्थरगड़ी की जाती है। कब्जा प्राप्त करने का अनुतोष नही दिया जा सकता है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी का सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करना होगा। इसलिये प्रार्थी को अपनी खातेदारी हक की आराजियात की केवल मात्र पत्थरगड़ी कराने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है ।

4. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाकर पत्थरगड़ी कराने बाबत 1000／—रूपये शुल्क पर तहसीलदार मावली को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा धनेरिया पटवार हल्का खरताणा तहसील मावली जिला उदयपुर की नकल जमाबंदी संवत 2077—80 के खाता संख्या 406 पर दर्ज आराजी नम्बर 621, 658, 659, 660, 661 किता 5 कुल रकबा 2.7275 हैक्टेयर भूमि की पूर्व, पश्चि[illegible] एव[illegible]त्तर दिशाओं का पुख्ता सीमांकन किया जाकर पत्थरगड़ी [illegible] जावे। पत[illegible]ड़ी करने से पूर्व प्रार्थी एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Parihadia
Date: 2025.07.14 11:47:13 IST
Reason: SelfAttested

विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो को सूचना पत्र जारी किये जावे। पत्थरगड़ी प्रार्थी एवं विपक्षीगण/पड़ौसी खातेदारो की उपस्थिति में की जावे। साथ ही उभय पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश केवल मात्र सीमांकन कर पत्थरगड़ी किये जाने का है। इस आदेश के तहत कब्जा प्राप्त करने का प्रयास नही करे। कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी मौके पर अदा करें।

5. तहसीलदार मावली को लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।
6. निर्णय सरे ईजलास में सुनाया गया ।

(रमेश सीरवी पुनाडिया) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी मावली
जिला उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:47:13 IST
Reason: SelfAttested